सूरजमल बनाम छोगा (कीरा)

रस्म मुकदमा प्रा०पत्र 111-128 नं० 80 सन् 2023

क	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व त अहकाम ज हुक्म की त मे जारी
5/6/23	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 16-6-23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
20/6/23	पत्रावली मंहगाई राहत कैम्प ऐव प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 कैम्प ग्राम पंचायत लेसवा मे पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हुकमीचन्द रोहलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023	

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 80/23 प्रा०पत्र

1– श्री सूरजमल S/o श्री मांगू गुर्जर निवासी – चैना का खेड़ा तहसील – माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री डोगा S/o श्री गोड़ा गुर्जर निवासी – चैना का खेड़ा तहसील – माण्डल

2– राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील – माण्डल

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक – 20.06.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चैनाकाखेड़ा पटवार हल्का बावलास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न0 227, 516/226, 525/178 कुल किता 03 रकबा 0.8220 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी गुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आयें दिन सीमा संबधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमे प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनाक 05.06.23 को पजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एव कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए [illegible]िक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम चैनाकाखेड़ा पटवार हल्का बावलास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 227, 516/226, 525/178 कुल किता 03 रकबा 0.8220 हेक्टयर भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक लेसवा को 800/- रूपय/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जावकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस मे प्रस्तुत करे।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023